बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संoसंo– मंoमंo–01/आर–14/2008 ....95.......... *दिनांक* ...21... *जनवरी, 2010*

प्रेषक

गिरीश शंकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,

पटना–15, दिनांक .... जनवरी, 2010

विषय :– मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ भेजे जाने वाले संलेख की मूल प्रति भेजने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख की छाया प्रति भेजी जाती है, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा फोल्डर में मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्य–सूची में शामिल करने हेतु उपस्थापित की जाती है। इस संदर्भ में संलेख की तीन मूल प्रतियों का होना आवश्यक है।

अतः मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ जो संलेख भेजे जाएँ उनमें विभाग की संचिका में एक प्रति संलेख की मूल प्रति होनी चाहिये। साथ ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्राप्त कराये जाने वाले संलेख की 45 प्रतियों के साथ भी दो अतिरिक्त संलेख की मूल प्रतियाँ भेजी जाएँ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय जिससे माननीय मुख्यमंत्री के आदेशार्थ प्रस्ताव उपस्थापित करने में कोई कठिनाई न हो।

विश्वासभाजन,

21/1/10

(गिरीश शंकर)
सरकार के प्रधान सचिव